भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2871
दिनांक 18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता बढ़ाना

†2871. श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ़ रवि किशन जी
श्री खगेन मुर्मुः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित करने की योजना बना रही है कि सरकार द्वारा दिए गए अनुदान से वित्तपोषित परियोजनाएं ग्रामीण अवसंरचना और सेवाओं की दीर्घकालिक स्थिरता में योगदान देंगी;

(ख) सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित करती है कि सिक्किम और दाहोद (गुजरात) जैसे जनजातीय क्षेत्रों को उनकी कम जनसंख्या के बावजूद पर्याप्त धनराशि प्राप्त हो;

(ग) क्या सरकार ने इन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की क्षमता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं ताकि आवंटित धनराशि का कुशलतापूर्वक प्रबंधन और उपयोग किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आबंटित धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (घ) संविधान का अनुच्छेद 243छ राज्य विधानमंडलों को पंचायतों को स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां, जिम्मेदारियां और अधिकार प्रदान करने का अधिकार देता है, जिससे वे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार कर सकें और ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों से संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित कर सकें, जिनमें ग्रामीण अवसंरचना और सेवाओं के प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।

हालांकि, पंचायती राज मंत्रालय विभिन्न क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को सहायता प्रदान करता है तथा पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं और वित्त आयोग अनुदानों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पंचायती राज मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना को क्रियान्वित कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य समग्र, समावेशी सतत विकास कार्यक्रम तैयार करने, ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध संसाधनों को एकीकृत करने, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमता विकसित करना है, जिसमें ग्रामीण बुनियादी ढांचा और सेवाएं शामिल हैं। पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत प्रदान किए गए प्रशिक्षणों का उद्देश्य पंचायतों को प्रभावी ढंग से कार्य करने और उन्हें आवंटित निधियों

का समुचित उपयोग करने में सक्षम बनाना है। प्रशिक्षण के अलावा, आरजीएसए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से अब तक, विभिन्न राज्यों और यूटी में लगभग 1,14,81,786 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया है।इस योजना का उद्देश्य पंचायतों की अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाने की क्षमताओं को बढ़ाना तथा उन्हें स्थानीय सरकार की आत्मनिर्भर संस्था बनने में सक्षम बनाना है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 केंद्रीय वित्त आयोगों को संघ, राज्यों और उनके संबंधित स्थानीय निकायों के वित्त की स्थिति का आकलन करने और राज्यों और स्थानीय निकायों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए करों के बंटवारे के साथ-साथ अनुदानों की सिफारिश करने का आधार प्रदान करता है। ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित 29 विषयों के तहत स्थान विशेष की जरूरतों के लिए वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग किया जा सकता है।

पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अपनाए गए निधियों के आवंटन के मानदंड में राज्यों के बीच पारस्परिक वितरण जनसंख्या पर 90 प्रतिशत के भारांक और राज्यों के क्षेत्रफल पर 10 प्रतिशत के भारांक पर होता है।

सभी स्तरों के बीच पारस्परिक वितरण राज्य सरकारों द्वारा नवीनतम राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर और निम्नलिखित बैंडों के अनुरूप किया जाएगा;

वितरण की सीमा	ग्राम पंचायतें	ब्लॉक पंचायतें	जिला पंचायतें
न्यूनतम	70%	10%	5%
अधिकतम	85%	25%	15%

जिन राज्यों में केवल ग्राम और जिला पंचायतों वाली दो स्तरीय प्रणाली है वहाँ आवंटन निम्नलिखित श्रेणी में होगा;

वितरण की सीमा	ग्राम पंचायतें	जिला पंचायतें
न्यूनतम	70%	15%
अधिकतम	85%	30%

राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की सिफारिश उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, विभिन्न-स्तरों के भीतर पारस्परिक वितरण को ऊपर बताए गए बैंड के अनुसार राज्य सरकार द्वारा तय किया जाना चाहिए।राज्य भर में संबंधित संस्थाओं के बीच अंतर-स्तरीय वितरण जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर 90:10 के अनुपात में या नवीनतम एसएफसी की स्वीकृत सिफारिश के अनुसार होना चाहिए।

पंचायतों का विषय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, राज्यों और पंचायती राज संस्थाओं को केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान सहित पंचायत निधियों के उपयोग का कुशलतापूर्वक प्रबंधन और प्रभावी ढंग से निगरानी और मूल्यांकन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने 2020 में ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन लॉन्च किया। यह एप्लिकेशन पंचायत को कामकाज के विभिन्न पहलुओं, जैसे नियोजन, बजट, लेखांकन और लेखा परीक्षा की निगरानी करने में सक्षम बनाता है।

राज्य केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों के उपयोग की व्यवस्थित निगरानी के लिए ई-ग्राम स्वराज एप्लिकेशन का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना मॉड्यूल राज्यों को यह ट्रैक करने की अनुमति देता है कि पंचायती राज संस्थाएं किस प्रकार पहचानी गई आवश्यकताओं को अपनी विकास योजनाओं में शामिल करती हैं, तथा बजट आवंटन के साथ संरेखण सुनिश्चित करती हैं। इसके बाद, प्रगति रिपोर्टिंग मॉड्यूल अनटाइड अनुदान द्वारा वित्त पोषित गतिविधियों से संबंधित भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी की सुविधा प्रदान करता है, जबकि लेखांकन मॉड्यूल वित्तीय लेनदेन और व्यय पैटर्न की विस्तृत ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। इन कार्यात्मकताओं का उपयोग करके, राज्य इस बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि स्थानीय विशिष्ट

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुदानों का उपयोग कैसे किया जा रहा है, जिससे अधिक प्रभावी और पारदर्शी संसाधन आवंटन को बढ़ावा मिलता है।

मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों के लिए ई-ग्राम स्वराज को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत किया है ताकि विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान किया जा सके। इसके अलावा, पंचायत खातों और उनके वित्तीय प्रबंधन के ऑनलाइन ऑडिट के लिए एक एप्लीकेशन 'ऑडिटऑनलाइन' विकसित किया गया है। अप्रैल 2020 में शुरू किया गया ऑडिटऑनलाइन, केंद्रीय वित्त आयोग के फंड के उपयोग की पारदर्शी ऑडिटिंग की सुविधा देता है और पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करता है।

*****